उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0–430–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019–100(1)प्र0सु0/92 दिनाँक 03 जून, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण विषयक समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये वर्ष 2019–2020 के लिए निम्नवत् स्थानान्तरण नीति, एतदद्वारा निर्धारित की जाती है :–

1. स्थानान्तरण निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे :–

(क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
(ख) प्रोन्नति, सेवा–समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
(ग) किसी कार्मिक के व्यक्तिगत कारण यथा चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या अन्य किसी विशेष कारण के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा कार्मिकों की पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।
(घ) यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी/कारपोरेशन की सेवा में हो तो उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर में तैनात करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

2. (i) समूह 'क' व 'ख' के ऐसे अधिकारी, जो किसी एक पद पर 03 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें स्थानान्तरित किया जायेगा।

(ii) समूह 'क' के ऐसे अधिकारी, जो किसी वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों पर कुल 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।
उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में की जा सकती है यदि वह न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में तैनात रहा हो।

(iii) समूह 'क' एवं 'ख' के ऐसे अधिकारी, जो किसी एक खण्ड (डिवीजन)/मण्डल (सर्किल)/क्षेत्र(जोन) में 03/05/07 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों, उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

(iv) लेसा–सिस/लेसा–ट्रान्स/लखनऊ क्षेत्रों में तैनात ऐसे अधिकारी, जो इन क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इन तीनों क्षेत्रों को एक मानते हुए अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।
उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः लेसा–सिस/लेसा–ट्रान्स/लखनऊ क्षेत्रों में की जा सकेगी यदि वह न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि हेतु कहीं अन्यत्र तैनात रहा हो।

(v) नोएडा एवं गाजियाबाद क्षेत्र में तैनात रहे ऐसे अधिकारी, जो इन स्थानों में उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इन दोनों क्षेत्रों को एक मानते हुए अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।
उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः नोएडा एवं गाजियाबाद क्षेत्र में की जा सकेगी यदि वह न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि हेतु कहीं अन्यत्र तैनात रहा हो।

(vi) उक्त बिन्दु–2 (iv) एवं (v) में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़ते हुए, अन्य क्षेत्रों हेतु पुनः उसी क्षेत्र में तैनाती की अवधि 05 वर्ष होगी।

आर·के·शुक्ला

(vii) कार्यशाला/भण्डार इकाइयों में समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की अधिकतम तैनाती की अवधि 05 वर्ष तथा समूह 'ग' से प्रोन्नत अधिकारियों के सम्बन्ध में पूर्ण सेवाकाल में कार्यशाला एवं भण्डार इकाइयों में (समूह 'ग' की अवधि को सम्मिलित करते हुए) अधिकतम तैनाती की अवधि 07 वर्ष होगी।

(viii) समूह–'क' एवं समूह–'ख' के शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार में तैनात अधिकारियों को लेसा में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा, तथा लेसा में तैनात अधिकारियों को शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

3. (i) समूह 'ग' के अन्तर्गत सभी अवर अभियन्ता एक सेक्शन में 03 वर्ष, एक खण्ड में 05 वर्ष, एक मण्डल में 08 वर्ष तथा एक क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक तैनात नहीं रहेंगे। कोई भी अवर अभियन्ता जो एक स्थान पर पहले कार्य कर चुका है, उसे उस स्थान पर दोबारा तैनात नही किया जायेगा।

(ii) समूह 'ग' के लिपिकीय/लेखा/कला संवर्ग के कर्मचारियों को एक पद पर अधिकतम 03 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उनका स्थानान्तरण किया जायेगा। किसी एक कार्यालय में कार्य करते हुए उनकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष की होगी, जिसके उपरान्त उन्हें उसी जनपद की अन्य तहसील में स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी एक जनपद में इन कार्मिकों की अधिकतम तैनाती अवधि 10 वर्ष की होगी, तत्पश्चात उन्हें निकटवर्ती जनपद में स्थानान्तरित किया जायेगा। कार्यकारी/वरिष्ठ कार्यकारी सहायकों को उनके गृह जनपद मे तैनात नही किया जायेगा।

उक्त के फलस्वरूप, लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों की ज्येष्ठता परिवर्तित नहीं होगी अपितु यह उसके मूल नियुक्ति कार्यालय में यथावत बनी रहेगी।

उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी कार्मिक की तैनाती पुनः उसी जनपद में की जा सकेगी, यदि वह न्यूनतम 05 वर्षों की अवधि हेतु किसी अन्य जनपद में तैनात रहा हो।

ऐसे लिपिक जो निविदा कार्य संबंधी पटल पर 03 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि 05 वर्षों की अवधि के उपरान्त ही उन्हें पुनः निविदा कार्य संबंधी पटल पर तैनात किया जा सकेगा।

नोएडा एवं गाजियाबाद क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों को 10 वर्ष के पश्चात किसी तीसरे निकटवर्ती जनपद में तैनात किया जायेगा।

(iii) समूह 'ग' के परिचालकीय वर्ग के कार्मिक एक स्थान पर अधिकतम 05 वर्षों की अवधि हेतु तथा एक जनपद में अधिकतम 15 वर्षों की अवधि हेतु तैनात रह सकेगें, तत्पश्चात् उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

(iv) चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का स्थानान्तरण यथासम्भव उनके गृह जनपद में किया जायेगा, लेकिन उन्हें उस कार्यालय में तैनात नहीं किया जायेगा, जहाँ पर उनका मूल निवास स्थान हो। किसी एक कार्यालय में उनका अधिकतम कार्यकाल 05 वर्षों का होगा, इसके उपरान्त उन्हें स्थानान्तरित किया जायेगा।

4. शक्ति भवन मुख्यालय/विस्तार की विभिन्न इकाइयों में तैनात अधिकारी स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय–सीमा एवं गृह जनपद/गृह मण्डल के प्रतिबन्धों से सामान्यतया मुक्त रहेंगे। ऐसे अधिकारी, जो किसी एक पद पर 03 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें शक्ति भवन मुख्यालय/विस्तार की विभिन्न इकाइयों में समकक्ष पदों पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

5. उक्त आधार पर प्रत्येक वर्ग हेतु, इकाई के ऐसे कार्मिक जिनकी किसी एक पद पर लगातार तैनाती अवधि अधिकतम हो, को पहले स्थानान्तरित किया जायेगा तथा कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 40 प्रतिशत तक स्थानान्तरण सीमित रखा जायेगा। यदि इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो इसका अनुमोदन अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 से प्राप्त किया जायेगा।

6. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्तर पर अर्न्तनिगमीय स्थानान्तरण दिनांक 30.06.2019 तक किये जायेंगे एवं निगमों द्वारा स्थानान्तरण दिनांक 15.07.2019 तक किये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि स्थानान्तरण किसी कारणवश पूर्ण नहीं किये जा. सके हैं तो इस समयावधि को बढ़ाये जाने हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

आर.के. शुक्ला

7. (i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती सत्यनिष्ठा रोके जाने की तिथि से अग्रेतर 03 वर्षों तक संवदेनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव बनाये जाने की तिथि से विगत 03 वर्षों की अवधि में 03 अथवा इससे अधिक दण्ड (लघु/वृहद) पाये हुये कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर नहीं की जायेगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>: किसी कार्मिक को यदि किसी एक प्रकरण में 'निन्दा प्रविष्टि' एवं 'असंचयी/संचयी प्रभाव' से वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड प्रदान किया गया है तो उपर्युक्त के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कार्मिक को 02 दण्ड प्रदान किये गये माने जायेंगे।

8. अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त :–

(i) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल एवं समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा। (उपरोक्त प्रस्तर–4 में उल्लिखित इकाइयों के अतिरिक्त)

(ii) स्थानान्तरण हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रशासनिक आधार यथा–अनुचित आचरण, गम्भीर प्रकृति की शिकायत, खराब अभिक्षमता, आकस्मिक गम्भीर चिकित्सीय प्रकरणों एवं इसी प्रकार के अन्य आधारों पर अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानान्तरण (सेवा निवृत्ति, सेवा समाप्ति, निधन एवं प्रोन्नति के कारण से किये गये स्थानान्तरण को छोड़कर) ही किये जा सकेंगे।

(iii) मंदित बच्चों के माता–पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाये, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

(iv) नवनियुक्त सहायक/अवर अभियन्ताओं/तकनीशियनों को प्रथम 04 वर्ष हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ही तैनात /स्थानान्तरित किया जायेगा।

(v) यदि कोई कार्मिक एकाउंटीबिलिटी मैट्रिक्स के पैरामीटर्स के अनुसार लक्ष्यों को सम्पादित करता है, अथवा किसी 'अवार्ड स्कीम' के तहत अवार्ड प्राप्त करता है, तो स्थानान्तरण मानदण्ड (Criteria) में आने पर उस कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर यथासंभव स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(vi) दिव्याँग कार्मिक अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्याँगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से यथा संभव मुक्त रखा जायेगा। ऐसे दिव्याँग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायेंगें। दिव्याँग कार्मिकों द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता एवं उपयुक्तता के दृष्टिगत उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(vii) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट–आफ डेट 31–03–2019 मानी जायेगी।

(viii) दिनाँक 31.03.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जायेगा।

(ix) सामान्यतः किसी कार्मिक को किसी पद/कार्यालय, जिसमें वह पहले कार्य कर चुका हो, पुनः उसे उसी पद/कार्यालय में तैनात नहीं किया जायेगा।

(x) विभिन्न इकाइयों में निम्नांकित पद संवेदनशील निर्धारित किये जाते हैं:–

क) सभी विद्युत वितरण मण्डल, नगरीय विद्युत वितरण मण्डल एवं उनसे संबंधित सभी खण्ड एवं उप खण्ड।

ख) सभी सामग्री प्रबन्धन इकाइयाँ एवं उससे संबंधित समस्त पद।

ग) सभी सामग्री भण्डार मण्डल एवं उससे संबंधित खण्ड एवं उपखण्ड।

घ) सभी विद्युत कार्य मण्डल/कार्यशाला मण्डल एवं इससे संबंधित सभी खण्ड।

च) उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के समस्त पद।

छ) सभी विद्युत जानपद वितरण मण्डल एवं उससे संबंधित खण्ड एवं उपखण्ड।

ज) समूह–'क' व 'ख' के ऐसे समस्त पद जो टेण्डर प्रक्रिया से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से संम्बिन्धित हों अथवा जहां पर आहरण एवं वितरण तथा बैंक खाता संचालन के अधिकार प्राप्त हैं।

आर.के. मिश्रा

9. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–

(i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के सम्बन्ध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारीं किये जाने के दिनाँक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) बुंदेलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को स्थानान्तरण किये जाने के पश्चात अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिये जायेंगे।

10. मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–

मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक नही किये जायेंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

11. स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :–

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धित प्रत्यावेदनों को किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई स्थानान्तरित कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी अधिनियम–56 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने वाले सम्बन्धित कार्मिक के अगले वेतन का भुगतान नही किया जायेगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी को दे दी जाये।

12. चार्ज नोट :–

स्थानान्तरित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना कार्यभार छोड़ने के समय चार्ज नोट तीन प्रतियों में तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को देगा, एक प्रति अपने से उच्च अधिकारियों को कार्यभार प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा एवं तृतीय प्रति स्वयं रखेगा। इस चार्ज नोट में महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/ परियोजनाओं/विधिक मामलों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देगा ताकि नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को आगे कार्य सम्पादित कराने में सुविधा हो तथा विभाग को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो।

13. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्यक्ष महोदय द्वारा कभी भी, किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

14. यह स्थानान्तरण नीति जब तक कारपोरेशन द्वारा विखण्डित न कर दी जाये यथावत् लागू रहेगी।

15. (i) सभी सामान्य स्थानान्तरण एवं तैनाती आदेश संगत स्थानान्तरण नीति के अनुसार किये जायेंगे। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही प्रकार के स्थानान्तरणों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका–79/1997 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2007 के आदेशानुसार शासन द्वारा गठित द्विसदस्यीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(ii) यदि कार्मिकों के स्थानान्तरण, इस स्थानान्तरण नीति एवं उपरोक्त बिन्दु सं0–13 के अनुसार किये गये हों, तो इससे शासन स्तर पर गठित ''द्विसदस्यीय समिति'' को कार्योत्तर संज्ञानित कराया जायेगा।

आर. के. शुक्ला

(iii) यदि किसी विशिष्ट एवं अपवादिक स्थितियों में प्रस्तावित स्थानान्तरण से, इस स्थानान्तरण नीति के विचलन की स्थिति बनती हो, तो ऐसे प्रकरणों में शासन स्तर पर गठित "द्विसदस्यीय समिति" का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किये जायेगें।

16. उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

निदेशक मण्डल, उ0प्र0पा0का0लि

सं0–430(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉंचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉंचल/दक्षिणॉंचल वि0वि0नि0लि0/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
6. समस्त निदेशक गण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मध्यॉंचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉंचल/दक्षिणॉंचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय व्ययक)/(निधि)/(प्रशासन) एवं (सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. वरिष्ठ उप–महालेखाकार/महालेखाकार (आडिट)–द्वितीय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, समस्त विद्युत वितरण निगम लि0।
16. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर "Orders" एवं "Right to Information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

आर.के.गुप्ता

(आर0के0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्रशि0)